तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	W.R. **(1) निगरानी / एलआर / 2021 / 985 / चित्तौड़गढ़** **रमेश व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(2) निगरानी / एलआर / 2021 / 987 / चित्तौड़गढ़** **मदनलाल व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(3) निगरानी / एलआर / 2021 / 989 / चित्तौड़गढ़** **सुरेश व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(4) निगरानी / एलआर / 2021 / 990 / चित्तौड़गढ़** **दीपक कुमार व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य**	

एकल–पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री माघवराज सिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री अनिल शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 16 अगस्त, 2021

निर्णय

1– ये चारों निगरानी अन्तर्गत धारा–84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 8–2–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– इन चारों निगरानी के तथ्य एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने के कारण इनकी बहस एक साथ सुनी गयी तथा इनका निस्तारण भी एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि गैर निगराकार ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ के समक्ष एक अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या–246 न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा दिनांक 10–6–1962, निगराकार के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया। आराजीयात खसरा नम्बर–1110 रकबा 6–13–00 व 1124 रकबा 3–00–00 ग्राम व तहसील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **W.R.** **(1) निगरानी / एलआर / 2021 / 985 / चित्तौड़गढ़** **रमेश व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(2) निगरानी / एलआर / 2021 / 987 / चित्तौड़गढ़** **मदनलाल व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(3) निगरानी / एलआर / 2021 / 989 / चित्तौड़गढ़** **सुरेश व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(4) निगरानी / एलआर / 2021 / 990 / चित्तौड़गढ़** **दीपक कुमार व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निम्बाहेड़ा में अवस्थित है जो कि जहुरलदीन वल्द ख्वाजा हुसेन पठान निवासी टोंक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी और खातेदार की बुआ अमीना अजमानली बेवा नवाब इब्राहिम अली खां निवासी टोंक थी और अपीलान्ट/गैर निगराकार संख्या–1 अमीना उजमानी बेगम की पुत्री है जिससे उक्त सम्पत्ति की वारिस अपीलान्ट/गैर निगराकार संख्या–1 हुई है। लेकिन जहुरलदीन के फौत होने पर जहुरलदीन के खाते की आराजीयात को मनमकसूद तरीके से उसके वारिसाान को सूचना दिये बगैर ही गलत तरीके से टोडू पुत्र जस्सा तेली के नाम दर्ज कर दी। जिसने उक्त आराजीयात भैरू पिता लाला को उक्त सम्पत्ति को बेचान कर दिया। जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट/गैर निगराकारा संख्या–1 ने 50 माह बाद मियाद बाहर अपील मय धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की। जिस पर प्रकरण दर्ज कर रेस्पो./निगराकार ने उपस्थित होकर धारा–5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश कर अपील को मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर गैर कानूनी आदेश दिनांक 8–2–2021 द्वारा गैर निगराकार का मियाद प्रार्थना पत्र धारा–5 बिना किसी ठोस कारण के स्वीकार कर लिया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–2–2021 से व्यथित होकर यह चारों निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 4– बहस एडमिशन, स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष सुनी गयी। 5– प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि अप्रार्थीया को व्यक्तिगत सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया और इसकी जानकारी भी अप्रार्थीया को नहीं थी। प्रथम बार जानकारी हल्का पटवारी से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	W.R. **(1) निगरानी / एलआर / 2021 / 985 / चित्तौड़गढ़** **रमेश व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(2) निगरानी / एलआर / 2021 / 987 / चित्तौड़गढ़** **मदनलाल व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(3) निगरानी / एलआर / 2021 / 989 / चित्तौड़गढ़** **सुरेश व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(4) निगरानी / एलआर / 2021 / 990 / चित्तौड़गढ़** **दीपक कुमार व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य**	
	दिनांक 21–4–2011 को हुई। इसके अलावा कोई और आधार व दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। जिस पर माननीय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने कहा कि जहां तक विधिवत अपील प्रस्तुत करने की अवधि का प्रश्न है तो उसकी निर्धारित समयावधि 30 दिवस निर्धारित है परन्तु प्रश्नगत निर्णय 45 वर्ष से अधिक समय पूर्व निर्णीत हुआ है। अपीलान्ट एक पर्दानशीन मुस्लिम परिवेश की महिला थी जो निम्बाहेड़ा से 250 कि.मी. दूर निवास करती थी। उपरोक्त परीक्षण ना तो अप्रार्थीया ने अपने धारा–5 की अर्जी में लिखा है और ना ही बहस के समय यह कथन किया गया था। इसके बावजूद भी विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा धारा–5 का फैसला इसी आधार पर स्वीकार करने में भारी भूल की है। गैर निगराकार ने मियाद प्रार्थना पत्र में ना तो जानकारी होने की दिनांक सही भरी है और ना ही दस्तावेज प्राप्त करने का उद्धेश्य भरा है और ना ही नामान्तरकरण संख्या–251 की जानकारी स्त्रोत का वर्णन किया है, केवल पटवारी से जानकारी होना लिख दिया है लेकिन जानकारी के स्त्रोत पटवारी का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने गैर निगराकार को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भयंकर भूल की है, जो कि काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजीयात नामान्तरकरण संख्या–251 के आगे कई खातेदारों को बेचान हो चुकी है और निगराकार बेचान से खातेदार होकर विवादित आराजीयात पर काबिज है जिसकी भी गैर निगराकार को पूर्ण जानकारी है। गैर निगराकार का विवादित आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त नहीं है इस प्रकार धारा–5 व अपील में अंकित कथन पूर्णतया गलत होने से अपील मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त ना कर कानूनी भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–2–2021 को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	W.R. **(1) निगरानी / एलआर / 2021 / 985 / चित्तौड़गढ़** **रमेश व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(2) निगरानी / एलआर / 2021 / 987 / चित्तौड़गढ़** **मदनलाल व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(3) निगरानी / एलआर / 2021 / 989 / चित्तौड़गढ़** **सुरेश व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(4) निगरानी / एलआर / 2021 / 990 / चित्तौड़गढ़** **दीपक कुमार व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य**	
	निरस्त फरमाने एवं धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर अपील को मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त किये जाने के आदेश करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :– 1– डीएनजे–2017 (एस.सी.) पेज–419 2– डीएनजे–2017(3) (राज.) पेज–1055, 1056 3– डीएनजे–2018 (एस.सी.) पेज–1175, 1180 4– एस.ए.आर.2019 (सिविल) पेज–460, 462 5– डीएनजे–2017(3) (राज.) पेज–1054 6– डीएनजे–2018(2) (राज.) पेज–479 7– एआईआर–2019 (एन.ओ.सी.) पेज–512 8– डीएनजे–2019(3) (राज.) पेज–1058 9– डीएनजे–2020 (Rev.) पेज–221, 224 10– डीएनजे–2020(3) (राज.) पेज–775, 776, 697 11– आरआरटी–2018(1) पेज–188 13– डीएनजे–2017(3) (राज.) पेज–1054 6– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के आदेश दिनांक 8–2–2021 के आदेश के विरूद्ध ये चारों निगरानियां प्रस्तुत की है। चूंकि यह एक अन्तरिम आदेश है इसलिये अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। अतः ये चारों निगरानियां एडमिशन स्तर पर ही निरस्त करने का निवेदन किया गया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :– 1– डीएनजे–2020 (Rev.) पेज–155 7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	W.R. **(1) निगरानी / एलआर / 2021 / 985 / चित्तौड़गढ़** **रमेश व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(2) निगरानी / एलआर / 2021 / 987 / चित्तौड़गढ़** **मदनलाल व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(3) निगरानी / एलआर / 2021 / 989 / चित्तौड़गढ़** **सुरेश व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(4) निगरानी / एलआर / 2021 / 990 / चित्तौड़गढ़** **दीपक कुमार व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य**	
	अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया। 8– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि यह निगरानी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के निर्णय दिनांक 8–2–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें नामान्तरकरण की अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। डीएनजे–2020 (Rev.) पेज–155 में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तो यह निर्णय अन्तरिम आदेश है और अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल के कई निर्णयों के आधार पर निम्न अभिमत प्रकट किया गया था :– **''उपरोक्त विवेचन, विधिक स्थिति व उद्धरित न्याय दृष्टान्तों की रोशनी में हमारा स्पष्ट मत है कि प्रकरण को मियाद के बिन्दु पर खारिज करने का आदेश निर्णीत (case decided) प्रकरण की श्रेणी में आता है क्योंकि इससे प्रकरण में आगे सुनवाई एवं गुणावगुण पर निर्णय के अवसर समाप्त हो जाते हैं, किन्तु जब विलम्ब को क्षमा किया जाता है तो ऐसा आदेश अन्तिम निस्तारण नहीं होकर अन्तरिम निस्तारण होता है क्योंकि मूल प्रकरण पर दोनों पक्षों की सुनवाई होकर गुणावगुण पर निस्तारण होना शेष रह जाता है। हस्तगत प्रकरण में भी सुस्पष्ट है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर (चतुर्थ), जयपुर द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश दिनांक 9–7–2018 एक अन्तरिम आदेश है क्योंकि पक्षकारान के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर गुणावगुण पर अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है। अतः हस्तगत निगरानी अन्तरिम आदेश के विरूद्ध होने**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	W.R. **(1) निगरानी / एलआर / 2021 / 985 / चित्तौड़गढ़** **रमेश व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(2) निगरानी / एलआर / 2021 / 987 / चित्तौड़गढ़** **मदनलाल व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(3) निगरानी / एलआर / 2021 / 989 / चित्तौड़गढ़** **सुरेश व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(4) निगरानी / एलआर / 2021 / 990 / चित्तौड़गढ़** **दीपक कुमार व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य**	
	से, अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाती है और निगरानी मण्डल के समक्ष पोषणीय (maintainable) नहीं होने से इसी आधार पर खारिज की जाती है।'' 9– निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं वे विलम्ब को शमित करने के संबंध में हैं। यहां पर प्रश्न विलम्ब को शमित करने का नहीं है अपितु यहां पर प्रश्न निगरानी की पोषणीयता का है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–84(A) के अन्तर्गत अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। इसलिये निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इन प्रकरणों पर लागू नहीं होते हैं। 10– अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार ये चारों निगरानियां एडमिशन स्तर पर ही खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	W.R. **(1) निगरानी / एलआर / 2021 / 985 / चित्तौड़गढ़** **रमेश व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(2) निगरानी / एलआर / 2021 / 987 / चित्तौड़गढ़** **मदनलाल व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(3) निगरानी / एलआर / 2021 / 989 / चित्तौड़गढ़** **सुरेश व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य** **(4) निगरानी / एलआर / 2021 / 990 / चित्तौड़गढ़** **दीपक कुमार व अन्य बनाम सलीम अहमद व अन्य**	